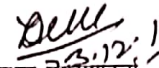
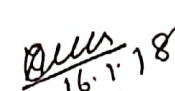
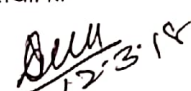
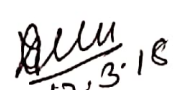


भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-146/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
23.12.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि <u>15.1.18</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>15.1.18</u> को उपस्थापित करें।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
15.01.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि <u>20.2.18</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>20.2.18</u> को उपस्थापित करें।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
20.02.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि <u>12.3.18</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>12.3.18</u> को उपस्थापित करें।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
12.03.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 414, दिनांक 12.03.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.03.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक निरंजन सुन्डी, पिता स्व० गाला सुन्डी, ग्राम-मलियाकुदर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-जोगीबेड़ा, खाता नं०-53, प्लॉट नं०-22, रकबा 0.17. ए०, क्रेता साधना सामड, पिता-श्री सालुका सामड, ग्राम-गेलियालोर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक निरंजन सुन्डी, पिता स्व० गाला सुन्डी, ग्राम-मलियाकुदर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इशतेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता थाना-चक्रधरपुर के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों का जाति "हो" (अ.ज.जा.) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकबा-3.36 ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इशतेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता साधना सामड, पिता-श्री सालुका सामड, ग्राम-गेलियालोर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	